लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या –2550
उत्तर देने की तारीख: 09.07.2019

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास

2550. श्री के. नवसकनी:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निजी कंपनियों को शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए निदेश देने या प्रोत्साहित करने का है ताकि उनका पुनर्वास किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री
(श्री कृष्णपाल गुर्जर)

(क) से (ख) जी हां, दिव्यांगजनों को नियुक्त करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु दिव्यांगजनों को निजी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के लिए वर्ष 2008–09 में नियोक्ताओं को प्रोत्साहन की योजना आरम्भ की गयी। योजना को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसे निजी क्षेत्र के लिए और अधिक आकर्षक बनाने तथा नियोजनीयता और साथ ही दिव्यांगजनों से संबंधित कुशल जनशक्ति की उपलब्धता के मामलों के निराकरण के लिए भी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 1 अप्रैल 2016 से योजना को संशोधन किया है। संशोधित योजना का ब्यौरा निम्न अनुसार है:

- ईपीएफ और ईएसआई के प्रति नियोक्ता अंशदान का भुगतान सरकार द्वारा वर्तमान में तीन वर्ष की अवधि के स्थान अब 10 वर्ष की अवधि के लिए वहन किया जायेगा।
- नियोक्ताओं को अपने दिव्यांग कर्मचारियों के ईपीएफ/ईएसआई में अंशदान जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। ईपीएफओ और ईएसआईसी द्वारा दिव्यांग कर्मचारियों के संबद्ध खातों में नियोक्ता अंशदान जमा कराया जायेगा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ईपीएफओ/ईएसआईसी को इसका भुगतान अग्रिम रूप से करेगा।
- निजी क्षेत्र में नियुक्त सभी पात्र दिव्यांगजनों के वेतन अथवा मजदूरी सीमा पर ध्यान दिए बिना उन्हें योजना के तहत शामिल किया जाएगा।
- ईपीएफ/ईएसआई अंशदान पर लागू प्रशासनिक प्रभार, जिन्हें वर्तमान में नियोक्ता द्वारा जमा कराया जाना अपेक्षित है, उनका वहन सरकार द्वारा किया जायेगा।
- दिव्यांग कर्मचारियों को स्वीकार्य एवं देय ग्रेच्युटी की राशि का एक तिहाई भुगतान सरकार द्वारा किया जायेगा।
- यदि निजी नियोक्ता दिव्यांग व्यक्ति को प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त करता है और प्रशिक्षु अवधि को पूरा हो जाने पर उसे नियोजित करता है, तो प्रशिक्षुता अवधि के दौरान दिव्यांग व्यक्ति को देय स्टाइपेंड का भुगतान सरकार द्वारा किया जायेगा।

(ग) उपरोक्त पर विचार करते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

*****